फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल बनाम विपक्षी : श्री कालू व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 75/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 25.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किया गया। प्राप्त डिलीवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 1 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौस में विपक्षीगण की भूमि है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहें।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 138, 139 में प्रार्थी खातेदार है लेकिन प्रार्थनाग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 442 में प्रार्थी खातेदार नहीं है। जिससे प्रार्थी को खाता संख्या नया 138, 139 में खातेदार होने से अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सर्शत आंशिक स्वीकार किया जाता' हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का सर्शत आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 20
की खाता संख्या नया 138 की आराजी न. 2540 किता 1 रकबा 0.95
खाता संख्या नया 139 की आराजी संख्या 2556, 2557, 2558, 2559,
2561 किता 6 रकबा 1.3400 है भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पा
कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 100
एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आ
किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई
पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की
व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी
प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि
प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से
प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा
की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि
भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)